न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 26/2019

दायर दिनांक : 09.07.2019

आदेश दिनांक : 06.02.2020

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री घीसूलाल वसीटा (धोबी) निवासी होलीथडा, कांकरोली, तह0 व जिला राजसमन्द(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, भीलवाडा

–अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 12 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 प्रकरण संख्या 26/2016 बअनवान कमला बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुपालना कराने बाबत

उपस्थित

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रार्थी की ओर से विपक्षी संख्या 01 के द्वारा पारित अवार्ड से असंतुष्ठ होकर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम जावद तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी नं0 861, 862, 863 को सम्मिलित किया गया हैं उक्त भूमि रूपांतरण आदेश मिसल सं0 35/97 पट्टा सं0 168/97 दिनांक 24.03.97 को भूमि के खातेदार रामचन्द्र पिता हरकिशन भील वगैराह के पक्ष में जारी किया गया। उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि में से प्रार्थी द्वारा दो भूखण्ड के रूप में अलग–अलग विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया गया। जो क्रमशः 1890 वर्गफीट दिनांक 20.06.1997 व 1125 वर्गफीट दिनांक 19.08.1998 को क्रय किया गया। उक्त भूखण्ड को वाणिज्यिक रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए नगरपालिका राजसमन्द द्वारा तामीर स्वीकृति दिनांक 11.08.2005 को-प्रदान की जिस पर प्रार्थीया द्वारा 04 दुकाने निर्मित की गई। और प्रार्थीया द्वारा 50 लाख रूपये निर्माण में खर्च किये जा चुके हैं। प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी द्वारा जारी एवार्ड दिनांक 01.02.2016 को चुनौती देते हुए उक्त अवार्ड में अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसको स्वीकार करते हुए दिनांक 10.01.2019 को यह आदेश पारित किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिया गया था। जिसकी अनुपालना में दिनांक 25.02.2019 को प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन विपक्षी सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक भूगतान नही किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही मे अवाप्त की गयी है। उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में भूमि अवाप्ति होना स्वीकार जिसमें विपक्षीगण द्वारा भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की जाकर नियमानुसार प्रार्थीगण को भुगतान किया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा आवासीय भूमि का क्लेम पेश करने से आवासीय भूमि का निर्धारित डीएलसी दर से भूगतान किया जा चुका हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर संशोधित अवार्ड जारी कर भुगतान किया जा चुका हैं। संशोधित अवार्ड जारी कर नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित ब्याज के साथ भुगतान कर दिया गया हैं। निर्धारित डीएलसी दर से संशोधित अवार्ड जारी कर मुआवजा तय कर Rfctlarr Act.2013 के तहत भुगतान कर दिया हैं। प्रार्थी अब किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने के अधिकारी नही हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम जावद तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी नं0 861, 862, 863 को सम्मिलित किया गया हैं उक्त भूमि रूपांतरण आदेश मिसल सं0 35/97 पट्टा सं0 168/97 दिनांक 24.03.97 को भूमि के खातेदार रामचन्द्र पिता हरकिशन भील वगैराह के पक्ष में जारी किया गया। उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि में से प्रार्थी द्वारा दो भूखण्ड के रूप में अलग–अलग विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया गया। जो क्रमशः 1890 वर्गफीट दिनांक 20.06.1997 व 1125 वर्गफीट दिनांक 19.08.1998 को क्रय किया गया। उक्त भूखण्ड को वाणिज्यिक रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए नगरपालिका राजसमन्द द्वारा तामीर स्वीकृति दिनांक 11.08.2005 को प्रदान की जिस पर प्रार्थीया द्वारा 04 दुकाने निर्मित की गई। और प्रार्थीया द्वारा 50 लाख रूपये निर्माण में खर्च किये जा चुके हैं। प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में विपक्षी द्वारा जारी एवार्ड दिनांक 01.02.2016 को चुनौती देते हुए उक्त अवार्ड में अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसको स्वीकार करते हुए दिनांक 10.01.2019 को

यह आदेश पारित किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिया गया था। जिसकी अनुपालना में दिनांक 25.02.2019 को प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन विपक्षी सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक भूगतान नही किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही मे अवाप्त की गयी है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की जाकर नियमानुसार प्रार्थीगण को भुगतान किया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा आवासीय भूमि का क्लेम पेश करने से आवासीय भूमि का निर्धारित डीएलसी दर से भूगतान किया जा चुका हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर संशोधित अवार्ड जारी कर भुगतान किया जा चुका हैं। संशोधित अवार्ड जारी कर नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित ब्याज के साथ भुगतान कर दिया गया हैं। निर्धारित डीएलसी दर से संशोधित अवार्ड जारी कर मुआवजा तय कर Rfctlarr Act.2013 के तहत भुगतान कर दिया हैं। प्रार्थी अब किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने के अधिकारी नही हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि की किस्म व रूपान्तरण को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए था। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत नही होता हैं। अतः प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए व भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश करने पर नियमानुसार मुआवजा संबंधि आवश्यक कार्यवाही करें। आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद